क्रम संख्या–84 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 144/XXXVI(3)/2013/13(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2013}

चूँकि यह समीचीन है कि राज्य में कतिपय क्षेत्रों में पर्यटन और उसकी सहयोगी गतिविधियों के नियोजित विकास और उन्नयन के लिए पर्यटन स्थल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक
प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें, होगा।

(3) अधिनियम और इसके प्राविधान ऐसी तारीख को जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अधिसूचित करें, से लागू समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "सहयोगी गतिविधियां" से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी गतिविधियां जो कि राज्य सरकार की राय में पर्यटन की बढ़ोतरी के लिए अथवा पर्यटकों को सुविधा देने अथवा क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधा देना आवश्यक है, जिसमें संरचनात्मक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, सीवेज, अतिथि गृह, होटल, मोटल, दुकान, शॉपिंग मॉल, इम्पोरियम और आवास तथा क्लब इत्यादि सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ख) "सुविधा" के अन्तर्गत सड़क, गली, जल और विद्युत आपूर्ति, सड़क पर रोशनी, खुला स्थान, पार्क, मनोरंजन स्थल, खेल मैदान, प्राकृतिक फीचर, नालियां, सीवेज संग्रह, शोधन और निस्तारण, शौचालय, लोक कर्म और अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा सम्मिलित है;

(ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा-4 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "भवन" के अन्तर्गत कोई ढांचा या ढ़ाचें का कोई भाग चाहे वह किसी भी सामग्री से बना हो जो कि मानवीय निवास के लिए प्रयोग में हो अथवा प्रयोग

किये जाने वाला हो अथवा सम्पति की अभिरक्षा में हो अथवा पूजा के स्थान के प्रयोग में हो अथवा किसी दुकान अथवा व्यापार के प्रयोग में लाया जा रहा हो, सम्मिलित है;

(ङ) **"विकास"** का व्याकरणीय दृष्टिकोण से भू–दृश्य रचना प्रकल्प, ढांचात्मक डिजाइन, भवन, इंजीनियरिंग संकर्म अथवा अन्य संचालन को किसी क्षेत्र के सुनियोजित विकास किये जाने अथवा भूमिगत अथवा ऐसे क्षेत्र में किसी भवन में कोई सामग्री परिवर्तन, भूमि अथवा जल स्रोत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आकर्षण के लिए ढांचागत सुविधाएं पर्यटन, पर्यटन का उन्नयन और ऐसे क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास सम्मिलित है;

(च) **"महायोजना"** के अन्तर्गत खेल, क्रीडा, मनोरंजन और शांत सुन्दरता के लिए उसकी परिधि में अधिकतम उपयोग तथा पुनर्निवास और ऐसी अन्य गतिविधियों सहित भू–दृश्य रचना प्रकल्प, आलेखन अथवा योजना विहित सेक्टर योजनाएं, भू दृश्य आलेखन सम्मिलित है;

(छ) **"क्रीड़ा"** के अन्तर्गत मत्स्य आखेट, बरछी मत्स्य आखेट, घुड़सवारी, रथसवारी, तीरनदाजी और ऐसी अन्य क्रीडात्मक गतिविधियां जैसा कि नियमों अथवा विनियमों में विहित किया जाए, सम्मिलित है;

(ज) **"विनियम"** से विशेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(झ) **"नियम"** से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(ट) **"विशेष क्षेत्र"** से अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें किसी राजकीय अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित है;

(ठ) **"खेलकूद"** से क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी खेल कूद अभिप्रेत है और इसमें क्रीड़ा और जल क्रीड़ा सम्मिलित है;

शब्द और पदावलि जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु ये परिभाषित नहीं है उनके वहीं अर्थ होगें जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 तथा उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्धन) अधिनियम, 2005 और यहां उल्लिखित विषय से सम्बन्धित उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अनुकूलन और उपान्तरण आदेश द्वारा अंग्रीकृत विधियों में दिये गये है।

अध्याय – दो

विशेष क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना

विशेष विकास क्षेत्र की घोषणा

3. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में पर्यटन और पर्यटन व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है और यदि अपेक्षित हो तो विकास की नई दिशा प्रस्तावित कर सकती है।

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषित विशेष क्षेत्र में प्रस्तावित विकास के प्रभाव के सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो तो किसी विकास, विनिर्माण, भूमि के किसी संव्यहार (विक्रय, विनियमन) पर रोक लगा सकती है।

(3) राज्य सरकार ऐसी सरकारी भूमि को प्राधिकरण को अन्तरित भी कर सकती है, जैसा विकास के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

विशेष क्षेत्र प्राधिकारी

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए (क्षेत्र का नाम) विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ज्ञात नाम से एक प्राधिकरण गठित कर सकेगी।

(2) विशेष क्षेत्र प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगी और वह निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी–

(क)	सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (अध्यक्ष)
(ख)	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(ग)	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(घ)	सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(ङ)	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(च)	सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(छ)	सचिव, पंचायत, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(ज)	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन (सदस्य)
(झ)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड	पदेन (सदस्य)
(ञ)	उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्र में विशेष विकास क्षेत्र सम्मिलित है	पदेन (सदस्य)
(ट)	राज्य सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य, जो कि	सदस्य

पर्यावरण, भूसंखलन, वास्तविद, पर्यटन, क्रीडा विशेषतया जल से सम्बन्धित, वाणिज्यिक, आर्थिक क्षेत्र में समुचित ज्ञान रखते हो योग्य, सचरित्र और सुशासित व्यक्तियों में से तथा इनमें से दो सदस्य, जिन्हें भूसंखलन विकास का ज्ञान और अनुभव हो, से नामित किये जायेंगे

(ठ) ऐसे अन्य सदस्य, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, संरक्षण, सुविचारित, विकास, पर्यटन और जल क्रीडा से सम्बन्धित को वरीयता देते हुए नियुक्त किये जायेगें — सदस्य

(ड) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् — सदस्य–सचिव।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च) और खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने स्थान पर विभाग में अपर सचिव पदेन के श्रेणी से अनिम्न अधिकारी को नामित कर सकते है और इसी प्रकार उपधारा (2) के खण्ड (झ) में उल्लिखित सदस्य अपने स्थान पर अपर जिला मजिस्ट्रेट पदेन की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी को नामित कर सकते है। इस प्रकार नामित अधिकारियों को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मतदान का भी अधिकार होगा।

(4) विशेष क्षेत्र प्राधिकरण इस अधिनियम के किसी उपबन्धो के अनुपालन में जैसा वह विचार करें सहयोग और परामर्श के लिए किसी व्यक्ति को, जैसा इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये, सहयोजित कर सकेगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन सहयोजित किसी व्यक्ति को, जिस प्रयोजन के लिए उसे सहयोजित किया गया है के सम्बन्ध में प्राधिकरण के विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मतदान करने की अर्हता नहीं होगी।

(6) इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ट) और (ठ) के अधीन नामित सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करें :

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन इस प्रकार निर्धारित अवधि के संमाप्ति से पूर्व नामित सदस्य की सदस्यता किसी भी समय कारण अभिलिखित करते हुए समाप्त कर सकेगी।

(7) प्राधिकरण के नामित सदस्यों द्वारा किसी भी समय अपना हस्तलिखित त्याग पत्र राज्य सरकार को सौपा जा सकता है। त्याग–पत्र स्वीकार किये जाने पर उसके पद को रिक्त माना जायेगा।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि तत्समय काई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी अथवा मामले के गुणावगुण को प्रभाव में डालने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता थी।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

5. (1) राज्य सरकार, किसी समुचित व्यक्ति को प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा विहित की जाये।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे पदों को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षतापूर्ण रूप से निर्वहन कर सकने हेतु जैसा वह आवश्यक समझे, सृजित कर सकेगा और इस विषय में बनाये गये नियमों के अध्यधीन ऐसे पदों पर नियुक्तियां कर सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के पद सहित सेवा की शर्तों को अवधारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यताएं तथा सेवा और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाये।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे करेंगे, जैसा विहित किया जाये।

(5) प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी, सलाहकार तथा कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होगें, जैसा विहित किया जाये।

अध्याय – तीन

विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

प्राधिकरण के कृत्य

6. विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(1) विशेष क्षेत्र, जिसके लिए इसका गठन किया गया है, का सुनियोजित रीति से

पर्यटन विकास का उन्नयन और प्रबन्धन;

(2) पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के उन्नयन के लिए परिणाम स्वरूप ईको पद्धति के संरक्षण सहित विशेष क्षेत्र के लिए विकास का अधिग्रहण और महायोजना तैयार करना;

(3) इस प्रकार तैयार की गई योजना का राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् क्रियान्वयन करना;

(4) योजना के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए भूमि का कय, पट्टा, विनियमन, दान अथवा अन्य रीति से अन्तरण द्वारा अर्जन और धारण, प्रबन्ध तथा अनुज्ञा स्वीकृत करना अथवा अन्य कोई प्रकार से अनुज्ञा प्राप्त करना जो कि सुविधाजनक हो और जैसा विहित किया जाये;

(5) पर्यटन की सुविधा को दिए जाने के लिए भवन, संनिर्माण, इंजीनियरिंग गतिविधियां संरचनात्मक, ढांचागत विकास करना और इसमें जल स्रोतों तथा इसकी परिधि में आने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं;

(6) जल विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य निष्पादित करना और ऐसी उपयोगिता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(7) सीवेज का निस्तारण और अन्य सेवाओं तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा उनका अनुरक्षण;

(8) विकास के लिए कर्तव्यों का निर्वहन और कदम उठाना तथा ईको पद्धति से पर्यटन के संरक्षण सहित जल क्रीडा और खेलकूद की सुविधाओं के लिए समुचित वातावरण तैयार करना;

(9) उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश द्वारा अंगीकृत उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन नगर निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों को उसी प्रकार विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उपलब्ध कराना;

(10) विशेष क्षेत्र के नियोजित विकास के प्रयोजनो के लिए जैसा आवश्यक अथवा समीचीन हो ऐसे अन्य सभी कृत्यों और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों का सम्पादन करना :

परन्तु यह कि खण्ड (10) में विनिर्दिष्ट कृत्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा न की जाये।

प्राधिकरण की शक्तियां

7. विशेष क्षेत्र प्राधिकरण की निम्न शक्तियां होगी–

(1) प्रशासन के प्रयोजन के लिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश द्वारा अंगीकृत उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में शक्तियां दी गई है, शक्ति होगी।

(2) करों के प्रयोजन के लिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश द्वारा अंगीकृत उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में शक्तियां दी गई है, शक्ति होगी।

अध्याय – चार

विशेष क्षेत्र के लिए महायोजना

महायोजना की तैयारी

8. (1) प्राधिकरण शीघ्रातिशीघ्र विशेष क्षेत्र, जिसके लिए इसका गठन किया गया है हेतु महायोजना तैयार करेगा।

(2) महायोजना –

(क) ऐसे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टरो में विकास, परिस्थिति विज्ञान के संरक्षण, पर्यटन के उन्नयन और भूमि का चिन्हाकन, जल स्रोत, टीला और अन्य क्षेत्र के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित सेक्टर और किसी विकास को करने के लिये स्तर;

(ख) ढांचे की प्रारम्भिक रीति के रूप में, जिसमें विभिन्न सेक्टर के लिये विकास योजना तैयार की जानी है एवं स्थानिय जनता की कम से कम विस्थापन किया जायेगा;

(ग) केन्द्रीय / राज्य स्कीमों अथवा लोक निजी सहभागिता प्रारूप के माध्यम से किये जाने वाले विकास की परियोजना इंगित किया जायेगा।

(3) महायोजना में कोई अन्य मामले जो कि अधिनियम की परीधि के भीतर ऐसे क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(4) उपधारा (1) में निहित शक्तियों के अनुसरण में लम्बित महायोजना की तैयारी प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से संनिर्माण पर ऐसे निर्वधन अथवा विशेष क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए जैसा कि धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भमि का विकास अपेक्षित है, पर अधिरोपित कर सकेगा।

(5) कोई व्यक्ति विशेष क्षेत्र के किसी विकास अथवा संनिर्माण गतिविधि का निर्वहन नियमों में विहित रीति से कर सकेगा।

सेक्टर योजना 9. (1) महायोजना की तैयारी के साथ ही साथ अथवा उसके पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र प्राधिकरण उपधारा (2) में सन्दर्भित प्रत्येक सेक्टर के लिए एक सेक्टर योजना के तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

(2) सेक्टर विकास योजना में–

(क) सेक्टर के विकास के लिये किसी स्थल योजना और भूमि प्रयोग योजना के विवरण और लगभग स्थिति को दर्शाना और ऐसी वस्तुओ के लिए सेक्टर में प्रस्तावित भूमि के प्रयोग के विस्तार के लिये लोक भवन, झोपड़ी, उपयोगिता ढांचा और अन्य लोककर्म तथा उपयोगिता, सड़क, आवास, मनोरंजन, ढांचागत सम्बधी क्रीड़ा और जल क्रीडा तथा खेलकूद सहित, न्यूनतम बाजार सुविधा, विद्यालय, अस्पताल और लोक और निजी खुला स्थान और लोक तथा निजी प्रयोग के अन्य वर्ग;

(ख) जनसंख्या घनत्व और ढाचागत घनत्व की मानकों का विनिर्दिष्टिकरण;

(ग) सेक्टर के प्रत्येक क्षेत्र में, प्राधिकरण की राय में अपेक्षित हो अथवा विकास अथवा पुर्नविकास के लिए घोषित हो और पर्यटन के आकर्षण के लिए निम्नलिखित सभी मामलों में अथवा किसी मामले को प्रदर्शित करना; अर्थात् ––

(एक) ईको पद्धति को अतिलंघन के बिना भवन के निर्माण के लिए किसी खण्ड को प्लाट में बांटना;

(दो) सड़क, खुला स्थान, बगीचा, मनोरंजन स्थल, स्कूल, बाजार और अन्य लोक परियोजनों के लिए स्थानो का आंवटन अथवा आरक्षण;

(तीन) किसी क्षेत्र का टाउनशिप अथवा कॉलोनी में विकास करना और ऐसे निर्बन्धन और शर्तें लगाना जो कि ऐसे विकास को करने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक हो;

(चार) किसी स्थल पर भवन का निर्माण तथा भवन के चारों ओर और उसी ऊंचाई तथा उसके सम्बन्ध में खुला स्थान रखने विषयक निर्बन्धन और शर्तें;

(पाँच) किसी स्थान पर भवनो की पंक्तिबद्धता;

(छः) किसी प्लाट अथवा स्थल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन की वास्तुविद संरचना अथवा उसके सामने का स्थल;

(सात) किसी सेक्टर में उसके प्लाट या स्थल पर बनने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(आठ) किसी स्थल पर उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं अथवा ऐसे स्थल पर भवनों के निर्माण से पूर्व तथा पश्चात् दी जाने वाली सुविधाएं तथा व्यक्ति अथवा प्राधिकारी का उल्लेख करना जिसके द्वारा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यय वहन किया जायेगा;

(नौ) स्थानीयता के विशेष प्रयोजनों के लिए वास्तविद रूप से अथवा भवनों के लिए अथवा दुकानों, कार्यशालाओं, वेयरहाउस अथवा फैक्टरी अथवा भवन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्बन्धन अथवा प्रतिषेध;

(दस) दीवार, बाड़ा, हैच अथवा अन्य कोई ढ़ाचात्मक वास्तविद निर्माण का अनुरक्षण तथा उसकी ऊंचाई जिसे अनुरक्षित किया जायेगा;

(ग्यारह) भवनो के निर्माण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन;

(बारह) प्रकृति के अनुरूप मानव निवास के संतुलन हेतु भू-संखलन संरक्षण, विकास और आधुनिकिकरण;

(तेरह) सेक्टर अथवा योजना के अनुसरण में उसके किसी भाग के समुचित विकास के लिए जो कि आवश्यक हो, अन्य कोई मामले।

योजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया और उसका प्रस्तुतिकरण

10. (1) धारा 8 अथवा 9 के अधीन अन्तिम रूप से किसी महायोजना को तैयार करने से पूर्व प्राधिकरण ऐसे प्ररूप पर तथा ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये और एक ड्राफ्ट योजना तैयार करेगा, एक नोटिस आपत्तियों और सुझावों को प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, प्रकाशित करेगा।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारियो को जिसकी स्थानीय सीमा योजना के सम्बन्ध में किसी योजना में अवस्थित हो, को युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) सभी ऐसी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो प्राप्त हुए हो पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्धन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन विशेष क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र की योजना अंतिम रूप से तैयार

करेगा और इसके अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार या तो बिना उपान्तरण के योजना को अनुमोदित करेगा अथवा जैसा वह ठीक समझे ऐसे उपान्तरण कर सकेगा अथवा योजना को निर्देशों सहित पुनः नई योजना ऐसे निर्देश के अनुसरण में तैयार करने के लिए निर्देश दे सकेगी।

(5) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के अधिसूचित होने के उपरान्त इस अधिनियम तथा उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्धन) अधिनियम, 2005 के अनुसरण में ऐसी महायोजना अंतिम समझी जायेगी।

योजना के प्रारम्भ की तारीख

11. धारा 10 के अधीन योजना के अनुमोदित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार इसे राजपत्र में और जैसा विहित किया जाये अन्य रीति से प्रकाशित करेगी तथा योजना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगी।

योजना का संशोधन

12. (1) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से धारा 8 अथवा धारा 9 के अधीन तैयार किये गये योजना में ऐसे संशोधन कर सकती है, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन किये गये कोई संशोधन धारा 8, धारा 9 तथा धारा 10 के प्राविधानों के यथावश्यक परिवर्तनों के साथ संशोधित समझे जायेगें।

अध्याय – पाँच

भूमि का विकास

विशेष क्षेत्र की परिधि में भूमि का विकास

13. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् किसी भूमि का विकास उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा, जिसमें राजकीय विभाग अथवा अन्य कोई सार्वजनिक अथवा निजी ब्यूरो भी है, द्वारा ऐसे विकास को किये जाने के लिए प्राधिकरण की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।

(2) किसी ऐसे क्षेत्र में किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात ऐसी योजना के अनुसरण में ऐसे विकास का जब तक न हो, उस क्षेत्र में कोई विकास न तो लिया जायेगा न बढ़ाया जायेगा और न ही लागू रखा जायेगा।

अनुज्ञा और अपील के लिए आवेदन

14. (1) धारा 13 में सन्दर्भित अनुज्ञा प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अथवा निकाय प्राधिकरण को लिखित में ऐसे आवेदन पर और ऐसी विवरणियों के

साथ विकास के सम्बन्ध में जो कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित हो में आवेदन करेगा, जैसा विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ऐसा शुल्क जमा किया जायेगा जैसा विनियमों में विहित किया जाये।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए किसी आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर प्राधिकरण अथवा इस हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी मामले अथवा किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में जैसा वह आवश्यक समझे, जांच कर आदेश में लिखित रूप में या तो कुछ शर्तों के अध्यधीन यदि कोई हो, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अनुमति प्रदान कर सकेगा अथवा ऐसी अनुज्ञा को स्वीकृत करने के लिए इन्कार कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञा को इन्कार करने के आदेश देने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को किसी त्रुटि को ठीक करने अथवा कोई अग्रेत्तर विवरण अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने अथवा वास्तविक शुल्क से कम शुल्क जमा करने की स्थिति में संगत नियमों और विनियमों के अधीन मांग करने का अवसर दिया जायेगा।

(4) (क) जहां अनुमति से इन्कार कर दिया गया हो वहां ऐसे इन्कार करने के आधार लिखित में अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सूचित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे;

(ग) प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रार्थना पत्रों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप पर जैसा विहित किया जाये, रखेगा;

(घ) उक्त रजिस्टर में ऐसी विवरणियों का उल्लेख जिसमें अनुमति व्यवहृत के लिए आवेदन दिया गया है, की सूचना सहित जैसा कि विनियमों में अधिकथित किया जाये और लोगों के द्वारा निरीक्षण के लिए सभी समुचित अवसरों पर ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा कि विनियमों में अधिकथित किया जाये, उपलब्ध कराया जायेगा।

योजनाओं के उल्लघंन में भूमि और भवनों का प्रयोग

15. किसी सेक्टर के योजना में किसी प्रवर्तन में आने के पश्चात् कोई व्यक्ति ऐसी योजना के पुष्टि के अध्यधीन सेक्टर में किसी भूमि अथवा भवन का प्रयोग अथवा उपयोग नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह कि यह विधिपूर्ण होगा कि जिस पर ऐसी योजना प्रवर्तन में आ गयी है कि तारीख पर उपयोग के लिये ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों में जो विहित की जाये, किसी भूमि अथवा भवन को प्रयोग में लाया जा सकेगा।

अध्याय – छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

भूमि का अनिवार्य अर्जन

16. (1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी भूमि की अपेक्षा है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन अधिग्रहण कर सकेगी:

परन्तु यह कि प्राधिकरण को किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये कदम उठाने अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् महायोजना के निष्पादन के लिए निहित हित अथवा कोई अन्य दायित्वों के निवर्हन के लिए अथवा प्राधिकरण के कृत्यो के लिए और किसी भूमि का ऐसा अर्जन अथवा कोई निहित हित भूमि अर्जन अधिनियम के अर्थान्वयन के लिए लोक हित हेतु किया गया अर्जन समझा जायेगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जिससे कोई भूमि अर्जित की है, ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष के अवधि व्यतीत हो जाने पर इस आधार पर कि इस भूमि का उपयोग अवधारित अवधि में उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिस हेतु उसका अर्जन किया था, को राज्य सरकार से प्रत्यावर्तित किए जाने हेतु आवेदन कर सकेगा और यदि सरकार सन्तुष्ट हो जाय तो वह अधिग्रहण के सम्बन्ध में आये खर्च और बारह प्रतिशत की दर से ब्याज तथा ऐसा विकास अधिभार यदि कोई हो, जो कि अर्जन के पश्चात् व्यय हुई है, सहित पुनर्भुगतान पर भूमि के प्रत्यावर्तन के आदेश कर सकेगी।

(2) जहाँ किसी भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है और भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्रतिपूर्ति का ऐसे प्राधिकरण द्वारा भुगतान कर जिस भूमि का प्रयोजन के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है, भूमि अधिग्रहण को अन्तरित की जाएगी और अधिग्रहण अथवा अन्यथा में हुए अधिभार के सम्बन्ध में जैसा वह उचित समझे।

भूमि का संविदात्मक अर्जन

17. धारा 15 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी भूमि की महायोजना अथवा प्राधिकरण के किसी अन्य दायित्वों और कृत्यों के प्रयोग के लिए आवश्यकता है, प्राधिकरण क्रय, पट्टा, विनियमन अथवा ऐसी भूमि के अन्यथा अधिकार और हित या तो सम्पूर्ण रूप से अथवा किसी भाग में भूमि के प्रयोग में लाये जाने फलस्वरूप नुकसान अथवा अवमूल्यन के अनुपात की धनराशि पर ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण

18. (1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के अध्यधीन प्राधिकरण बिना ऐसे विकास के संचालन और निष्पादन के जैसा वह ठीक समझे, योजना के अनुसार विशेष क्षेत्र के विकास को प्राप्त करने के लिए ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा वह समीचीन समझे, ऐसी रीति से ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अर्जित किसी भूमि का निस्तारण और अन्तरित कर सकता है।

(2) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसे प्राधिकरण को किसी भूमि का दान के द्वारा निस्तारण करने के लिए सशक्त करता है किन्तु भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिए गये सन्दर्भ के अधीन विक्रय, विनियम अथवा पट्टे में आवासीय सेक्टर अथवा वाणिज्यिक सेक्टर के लिए पट्टे अथवा लाइसेंस द्वारा निष्पादित करने की शक्ति होगी और अपशेष पर अनुमति और अनुज्ञा अथवा किसी सुखाचार अधिकार अथवा विशेषाधिकार के सृजन अथवा अन्यथा किसी अन्य अधिकार को अन्तरित नहीं कर सकती है।

अध्याय – सात

वित्त, लेखा और सम्परीक्षा

प्राधिकरण की विधि

19. (1) प्राधिकरण उसकी अपनी निधि जो उसमें जमा की जायेगी, की एक निधि होगी और उसे निम्नलिखित अनुरक्षित करेगी; अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान, ऋण, अग्रिम अथवा अन्यथा रूप में दी गई समस्त धनराशियां;

(ख) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा ऋण अथवा डिबेन्चर को छोड़कर प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोत से ली गई समस्त धनराशियां;

(ग) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, टॉल, उपकर

और अधिभार तथा इसी प्रकार अन्य समस्त प्राप्तियां;

(घ) प्राधिकरण द्वारा भूमि भवन तथा अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त समस्त धनराशियां; और

(ङ) प्राधिकरण द्वारा किराये और लाभ अथवा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के प्रशासन में आये खर्च के व्यय के लिये निधि का प्रयोग किया जायेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार के किसी निर्देशों के अध्यधीन प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक में जैसा वह ठीक समझे, तत्कालिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी निधि में से धनराशि को रखने हेतु चालू खाता रख सकता है और किसी अधिशेष राशि को ऐसी रीति से निवेश कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे।

(4) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विधान मण्डल विधि द्वारा सम्यक रूप से विनियोग करने के पश्चात इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए जैसा राज्य सरकार आवश्यक समझे, प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकेगी तथा किए गये सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर होगें, जैसे राज्य सरकार अवधारित करें।

(5) प्राधिकरण उपधारा (3) के अधीन ली गई ऋण की धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि अनुरक्षित करेगी और इस प्रकार ली गई ऋण की सभी धनराशि को नियम अवधि में पुनर्भुगतान के लिए जितनी धनराशि पर्याप्त हो, प्रत्येक वर्ष में निक्षेप निधि में जमा करेगी।

(6) निक्षेप निधि और उसका कोई भाग, जिसके लिए यह निधि बनायी गई थी, के लिए ऋण के भुगतान हेतु प्रयोग में लायी जाएगी और जब तक ऋण की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नही हो जाता, किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लायी जाएगी।

प्राधिकरण की ऋण लेने की शक्ति

20. (1) प्राधिकरण समय-समय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन ऋण, ऋणपत्रों, बाण्ड के माध्यम से धनराशि उधार ले सकती है चाहे वह केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थाए सम्मिलित है, से सुरक्षित हो, अथवा नहीं।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम प्राधिकरण

को ऋण पत्र जारी कर उधार देने और बैंकर्स के साथ व्यवस्था करने हेतु सशक्त कर सकेंगें।

(3) प्राधिकरण द्वारा जारी सभी ऋण पत्र ऐसे होगे और राज्य सरकार की स्वीकृति से प्राधिकरण समय–समय पर अवधारित करें।

(4) इस धारा के अधीन उधार लिए गए ऋण आदि जारी किये गये ऋण पत्र मूल धनराशि के पुनर्भुगतान तथा व्याज की धनराशि के भुगतान के लिए ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करें, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जायेगें।

(5) प्राधिकरण यदि ऐसी अपेक्षा करें उसकी सम्पति को सुरक्षित रखने की शक्ति, बन्धक, अधिभार अथवा जैसी स्थिति हो, बैक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण का उपभोग अथवा ऋण पत्रों को जारी करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से, होगी।

(6) प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित बैंक, वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य प्रत्याभूतियों में अपनी निधि को निवेश कर सकती है।

प्राधिकरण का आय–व्ययक

21. प्राधिकरण ऐसे प्ररूप पर और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्राधिकरण की आंकलित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए आय–व्ययक तैयार करेगा।

लेखे और सम्परीक्षा

22. (1) प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य संगत अभिलेख रखेगा तथा ऐसे प्ररूप पर जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, तुलन–पत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखों की सम्परीक्षा, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 के प्राविधान के अनुसार की जायेगी :

परन्तु यह कि परीक्षक, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 के अतिरिक्त, राज्य सरकार नियन्त्रक एवं महालेख परीक्षक से लेखों की परीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार और उसके मध्य तय हो, करा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकरण के लेखों कि सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को सौपी जायेगी और राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही के लिए प्राधिकरण को निर्देश देगी। प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

23. प्राधिकरण वर्ष के दौरान उसके द्वारा सम्पादित गतिविधियों की एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप पर तथा तारीख अथवा ऐसी तारीख से पूर्व जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

पेन्शन और भविष्य निधि

24. (1) प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक भुगतानित सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी शर्तों पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी पेन्शन और/अथवा भविष्य निधि और/अथवा सामूहिक बीमा योजन और/अथवा कोई अन्य अधिवर्षता लाभ, जिसे वह ठीक समझे, गठित करेगा।

(2) जहा ऐसी पेंशन अथवा भविष्य निधि गठित की जाये, राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होगे, जैसे कि वह राजकीय भविष्य निधि हो।

अध्याय – आठ

लोक निजी सहभागिता

निजी सहभागिता द्वारा पर्यटन के विकास और उन्नयन के लिए संविदा करने की राज्य सरकार की शक्ति

25. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम और इस अधिनियम के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए बनाए गये नियम, विनियम और स्कीम के अधीन राज्य सरकार किसी व्यक्ति से ऐसी शर्तों और निर्बन्धों पर जैसा वह उचित समझें, विशेष क्षेत्र के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए पर्यटन के विकास, अनुरक्षण और उन्नयन के लिए अनुबन्ध निष्पादित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में सन्दर्भित व्यक्ति जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विशेष क्षेत्र से सम्बन्ध किसी भाग या सम्पूर्ण भाग में विकास, भवन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और संचालन, निवेशित पूंजी का ब्याज, युक्तियुक्त वापसी, पर्यटकों की संख्या पर्यटन गतिविधि तथा ऐसे अनुबन्ध की अवधि के दृष्टिगत उसकी सेवाओं अथवा लाभांश के लिए ऐसी दर पर फीस को ग्रहण और एकत्रित करने का पात्र होगा।

(3) उपधारा (1) में सन्दर्भित व्यक्ति इस अधिनियम, नियम, विनियम और स्कीम के संगत के अनुसरण में जो कि उसके समुचित प्रबन्धन के लिए कोई लोक निजी सहभागिता अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन और नियंत्रण की शक्ति होगी।

अध्याय – नौ
अनुपूरक उपबन्ध

प्रवेश की शक्ति 26. इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन, प्राधिकरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति को बिना सहायक अथवा कर्मकार के साथ किसी भूमि अथवा भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत कर सकेगी–

(1) कोई जांच, निरीक्षण, पैमाईस अथवा सर्वे अथवा ऐसे भूमि और भवन के समतलीकरण के लिए;

(2) निर्माणाधीन और पता लगाने के लिए सीवेज तथा नालियों के परीक्षण के लिए;

(3) अवमृदा में खोदने और बोरिंग के लिए;

(4) सीमाकंन को निश्चित करने और कार्य की सुनिश्चिता के लिए;

(5) समतलीकरण, सीमाकंन और चिन्हाकंन तथा खाई को काटने के लिए;

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भूमि विकास के उल्लंघन पर तो विकास नहीं हुआ है अथवा किया जा रहा है अथवा दी गई अनुमति की शर्तों के अतिलंघन अथवा इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए आवश्यक हो।

भवन को ध्वस्त करने के आदेष 27. (1) जहां कोई विकास महायोजना अथवा सेक्टर योजना के उल्लघंन अथवा धारा 14 में सन्दर्भित अनुमति, अनुमोदन अथवा स्वीकृति के बिना किया गया है अथवा दी गई अनुमति अनुमोदन अथवा स्वीकृति के अधीन कोई उल्लघंन करे तो धारा 26 के उपबन्धों के पूर्वोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा या चल रहा है या पूर्ण किया जा चुका है तो प्राधिकरण आदेश में स्वामी को निर्देश दे सकेगा कि ऐसा विकास ध्वस्त, गिराकर अथवा अन्य रीति से हटा दिया जाय अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसनें स्थल पर विकास प्रारम्भ किया है, अथवा किया जा रहा है अथवा पूर्ण कर दिया गया है, ऐसी अवधि जो 15 दिन से कम की नहीं होगी और जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, हटा दी जाय और उसके द्वारा आदेश के अनुपालन में

असफल होने पर ऐसा विकास ध्वस्त अथवा हटा दिया जायेगा और ऐसे विकास और हटाने पर हुआ व्यय स्वामी अथवा ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा विकास प्रारम्भ अथवा संचालन अथवा पूर्ण किया जा रहा है, से भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकेगा और ऐसे व्यय की वसूली के लिए किसी सिविल न्यायालय में कर योजित नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा आदेश स्वामी अथवा सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देकर युक्तियुक्त अवसर किए बिना नहीं दिया जा सकेगा।

(2) भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में इस धारा के उपबन्ध किसी अन्य विधि में तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अतिरिक्त होगें, अल्पीकरण में नहीं।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव पर्यटन, राज्य सरकार को अपील कर सकता है और सचिव पर्यटन, राज्य सरकार का निर्णय ऐसी अपील में अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन की गई अपील के निस्तारण में सिविल प्रकिया संहिता, 1980 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्त के साथ प्रभावी होगें, मानों अपील संहिता के अधीन मूल डिक्री के लिए लागू थे।

(5) राज्य सरकार के पर्यटन सचिव के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अन्तवर्ती आदेश अथवा अन्तरित आदेश के क्रियान्वयन में स्थगन सहित अपील में ऐसे आदेश दें, जैसा कि वह न्याय हित में आवश्यक समझें।

विकास रोकने की शक्ति

28. (1) जहाँ कोई विकास धारा 15 में सन्दर्भित महायोजना अथवा सेक्टर योजना अथवा बिना अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के उल्लंघन में प्रारम्भ अथवा चालू रखा गया है अथवा जिन शर्तों के अधीन अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति दी गई है का उल्लघंन करता है तो प्राधिकरण अथवा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी इसकी ओर से धारा 27 और 28 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विकास के आदेश को प्राप्त कराये जाने की तारीख से रोकने के आदेश दे सकेगा और ऐसे आदेश का तद्नुसार पालन किया जायेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में विकास कार्य नहीं रोका गया तो प्राधिकरण अथवा ऐसा अधिकारी पुलिस अधिकारी से व्यक्ति, जिसके द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है और ऐसे समस्त

सहायक तथा अन्य कर्मकारों को ऐसे समय पर जैसा अपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाय, विकास स्थल से हटा दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा का तद्नुसार पालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के आदेश का पालन करने में असफल हो तो वह सरकार द्वारा विहित दण्ड से दण्डनीय होगा।

(4) धारा 26 के अधीन किसी विकास कार्य के हटाने के अथवा इस धारा के अधीन विकास कार्य के न रोकने के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति पाने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(5) भवन संचालन को रोकने के सम्बन्ध में इस धारा के उपबन्ध किसी अन्य विधि में तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अतिरिक्त होगें अल्पीकरण में नहीं।

त्रुटि के फलस्वरूप स्वामी के व्यय पर सुविधा अथवा विकास करने की प्राधिकरण की शक्ति और कतिपय मामलों में उपकर अधिरोपित करन

29. (1) यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि कोई सुविधा दी जाती थी किन्तु नहीं दी गई है अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के विकास के लिए अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी विधि के अधीन कार्य संचालित नहीं किया गया है, तो वह भूमि के स्वामी अथवा सुविधा दिए जाने वाले व्यक्ति अथवा सुविध उपलब्ध कराए जाने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को युक्तियुक्त समय देते हुए आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षा कर सकता है कि वह सुविधाएं उपलब्ध कराये अथवा विकास कार्य का संचालन करें।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है अथवा ऐसा विकास कार्य नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्वयं सुविधा अथवा विकास कार्य का संचालन ऐसे अभिकरण के माध्यम से जैसा वह ठीक समझे, करा सकेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व भवन के स्वामी अथवा सुविधा उपलब्ध कराने अथवा विकास कार्य करने वाले व्यक्ति को युक्तियुक्त समय देकर कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण अथवा अभिकरण द्वारा सुविधा उपलब्ध कराए जाने अथवा विकास कार्य को कराये जाने पर हुए समस्त व्यय ब्याज सहित ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करें और मांग की तारीख से जब तक प्राधिकरण द्वारा स्वामी अथवा सुविधा उपलब्ध कराने वाले अथवा उत्तरदायी व्यक्ति से भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई

वाद योजित नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन प्राधिकरण अथवा अभिकरण द्वारा हुए व्यय को ऐसे प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा और ऐसा सत्यापन अंतिम होगा।

कतिपय मामलों में स्थानीय प्राधिकारी से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति

30. जहां किसी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ऐसे विकसित क्षेत्र जो कि स्थानीय प्राधिकारी की सीमा में आता है, यह माना जाएगा कि सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए जिसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है को उपलब्ध कराना प्राधिकरण का दायित्व होगा और जो सुविधाए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये है किन्तु उसकी राय में उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए तो ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा स्थानीय प्राधिकारी और प्राधिकरण के मध्य तय किया जाय और यदि ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों में दोनो सहमत न हो तो प्राधिकरण द्वारा मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जाएगा अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत शर्तें और निर्बन्धन स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से की जायेगी।

सुधार अधिभार

31. जहाँ प्राधिकरण की राय में किसी विकास स्कीम के परिणाम स्वरूप विशेष विकास क्षेत्र में इसके द्वारा निष्पादित की जानी है कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन उस क्षेत्र में जो विकास द्वारा लाभान्वित होगें, ऐसा प्राधिकरण ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाये, सुधार अधिभार ऐसी दर पर जैसा विहित किया जाये, अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह कि सरकार द्वारा आच्छादित भूमि के सम्बन्ध में कोई सुधार अधिभार अधिरोपित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जहां कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे अथवा लाईसेंस पर दी गई हो तो ऐसी भूमि पर और उस पर स्थित भवन सुधार अधिभार के अध्यधीन होगा।

सुधार अधिभार का संदाय

32. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सुधार अधिभार ऐसी किस्तों में और प्रत्येक किस्त ऐसे समय पर ऐसी रीति से संदाय की जायेगी, जैसा इस सम्बन्ध में विनियमों द्वारा नियत किया जाये।

(2) सुधार अधिभार की कोई अवशेष धनराशि राजस्व के अवशेष के रूप में वसूलनीय होगी।

विद्युत की बिक्री के उपयोग पर अधिभार लगाने की शक्ति

33. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में कोई अन्य बात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्राधिकरण द्वारा विशेष विकास क्षेत्र में विद्युत के विक्रय अथवा उपयोग पर अधिकतम दस पैसे प्रति किलो वॉट की दर से उपकर अधिरोपित किया जा सकेगा।

प्राधिकरण के कारण धन की वसूली की रीति

34. फीस अथवा अधिभार अथवा अन्य चल और अचल सम्पति, भूमि, भवन के निस्तारण अथवा किराया और लाभांश की कोई धनराशि जो प्राधिकरण द्वारा सत्यापित कर देय हो, यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में इसकी वसूली की व्यवस्था न हो तो ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी राशि भू–राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी और ऐसे राशि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई दावा योजित नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय – दस

अपराध और शास्तियां

वैयाक्तिक द्वारा उल्लघन का अपराध

35. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का विकास विकास योजना के उल्लघंन अथवा इस अधिनियम के अधीन बिना अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति अथवा दी गई अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के शर्तों का उल्लघंन में संचालन या कार्य करता है तो वह ₹ दस हजार तक के दण्ड से दण्डनीय होगा और यदि अपराध के पहले के अभियोजन के पश्चात् पुनः अपराध करता है तो वह ₹ पाँच सौ तक के दण्ड से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 के उपबन्धों के उल्लघंन में किसी भूमि या प्रयोग करेगा अथवा उक्त धारा के परन्तुक के अधीन दी गई किन्हीं शर्तो और निर्बन्धनों का उल्लघंन करेगा तो वह ₹ पाँच हजार तक के दण्ड से दण्डनीय होगा और यदि अपराध के पहले अभियोजन के पश्चात् पुनः अपराध करता है तो वह ₹ दो सौ पचास तक के प्रतिदिन के दण्ड से दण्डनीय होगा।

(3) धारा 26 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी भूमि अथवा भवन में प्रवेश करने पर बाधा पहुंचाएगा, ऐसा व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, जिसमें छः माह का कारावास या जुर्माना जो कि ₹ एक हजार तक होगा अथवा दोनों रूप में दण्डित किया जा सकेगा।

सामान्य द्वारा उल्लंघन से सम्बन्धित अपराध

36. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन, उल्लंघन करने का प्रयास अथवा जानबूझकर उल्लंघन करेगा तो वह कारावास के लिए जिसकी अवधि तीन मास हो सकेगी अथवा ₹ दस हजार तक के दण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

37. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार वह अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किए।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा का आरोध्य है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझें जायेगें और तद्नुसार व अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगें।

(3) इस अधिनियम के अधीन ऐसी कम्पनी के प्रत्येक कम्पनी ऐसे अन्तराल पर जैसा विहित किया जाये प्राधिकरण से उससे सम्बन्धित मामलों के लिए कार्यवाहक और उत्तरदायी विनिर्दिष्ट नाम, पद और व्यक्ति तथा व्यक्तियों का पता उपलब्ध करायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) "**कम्पनी**" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "**निदेशक**" से उस फर्म के भागीदार अभिप्रेत है।

अपराध का प्रामन

38. (1) इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई भी दण्डनीय अपराध के अतिरिक्त प्राधिकरण अथवा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व अथवा पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस रूप में जुर्माने की धनराशि निर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) जहां किसी अपराध का प्रशमन किया गया है, उल्लंघन करने वाला व्यक्ति यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध अपराध के प्रशमन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपराध का संज्ञान

39. प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नत्तर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों से लिखित में शिकायत के बिना नहीं करेगा।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना

40. इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं० 45 वर्ष, 1860) के अर्थान्वयन में लोक सेवक के रूप में समझे जायेगें।

दण्ड वसूल किए जाने पर प्राधिकरण को संदत किया जाना

41. अधिनियम के अधीन अभियोजन से सम्बन्धित समस्त दण्डों की वसूली का संदाय किया जाएगा और प्राधिकरण के खाते में जमा किया जायेगा।

अध्याय– ग्यारह

विविध

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण

42. (1) प्राधिकरण इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

(2) यदि राज्य सरकार और प्राधिकरण के मध्य कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) राज्य सरकार किसी समय या तो अपने प्रस्ताव पर या उसके ओर से आये किसी प्रार्थना पर प्राधिकरण द्वारा निस्तारित प्रकरणों और पारित आदेशों के

अभिलेख मंगा सकता है अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों, पारित आदेशों की वैधानिकता अथवा वास्तविक्ता के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन कृत्य सम्पादित करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है और धारा 27 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (5) के अधीन सचिव, पर्यटन द्वारा पारित किसी आदेश के अध्यधीन विषय पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना सद्भावना में कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा किए गये सभी आदेश अंतिम होगें और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकेगें।

विवरणियां और निरीक्षय

43. (1) प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियों और अन्य सूचनाएं प्रेषित करेगा जैसा कि सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

(2) राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट, विवरणियों और अन्य सूचना पर ऐसे निर्देश जैसा वह ठीक समझे दे सकेगी और प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निर्देशों का अनुपालन करें।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति

44. (1) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, प्राधिकरण और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा दी गई नियुक्तियों के मामलो पर ऐसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगें।

(2) यदि राज्य सरकार और प्राधिकरण के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो कि प्रश्नगत मामला नीतिगत है अथवा नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

शक्तियों का प्रतिनिधायन

45. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों अथवा किन्हीं शक्तियों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अधीनस्थ को प्रतिनिधायन कर सकती है।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन और सामान्य अथवा विशेष आदेश से राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित ऐसे निर्बन्धनों के अधीन प्राधिकरण अथवा

अध्यक्ष लिखित रूप में इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन जैसी स्थिति हो सभी अथवा किसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधायन कर सकेगी।

प्राधिकरणों को भंग करना

46. (1) जब कभी राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी प्राधिकरण के अस्तित्व को नियमित रखना अनावश्यक अथवा इच्छा के विरूद्ध हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो ऐसे प्राधिकरण को भंग कर सकती है और ऐसा प्राधिकरण तद्नुसार भंग समझा जायेगा।

(2) भंग होने की उक्त तारीख से–

(क) सभी सम्पत्तियां, निधियां और देय जो कि प्राधिकरण में निहित है अथवा वसूलनीय है राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा वसूलनीय होगें;

(ख) खण्ड (क) में वसूलनीय सम्पत्तियां, निधियां और देय के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के विरूद्ध जो दायित्व प्रवृत्त है, राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवृत होगें और प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त शक्तियां अथवा कृत्यों का निर्वहन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाये, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जायेगी, जिसे नियुक्त अथवा पदाविहित किया जाये।

आदेशों और पत्रजातों का अधिप्रमाणन

47. प्राधिकरण के सभी अनुज्ञाएं, आदेश, निर्णय, नोटिस और अन्य अभिलेखों को प्राधिकरण के सचिव अथवा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किये जायेगें।

न्यायिक अधिकारिता का वर्जन

48. इस अधिनियम के लागू होने की तारीख और अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण पर किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में किसी अधिकारिता अथवा शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति नहीं होगी।

सद्भावपूर्व की गई कार्यवाई का संरक्षण	49.	कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित अथवा आशयित हो।
विनियम बनाने की शक्ति	50.	प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे विनियम, जैसा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपेक्षित हो, विनियम बना सकेगी और अन्यथा इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु विनियम बना सकेगा।
नियम बनाने की शक्ति	51.	राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पर्यटन, खेलकूद, जल क्रीड़ा और विषयों से सम्बन्धित नियम सम्मिलित होगें और इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बात के सत्र के पूर्व उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवशान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति	52.	(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा और इसके बनाए जाने के

यथाशीघ्र इसे राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा।

(2) दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

अन्य विधियों के प्रवर्तन का प्रतिषेध न होना

53. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवर्तन किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होगें और इस अधिनियम के असंगत अल्पीकरण में नहीं होगें।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

54. इस अधिनियम के प्रभाव में आने के उपरान्त यहां घोषित कोई क्षेत्र अथवा इस अधिनियम के अधीन इसके पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पर्यटन के विकास कार्य और उन्नयन के लिए की गई कोई अधिसूचना, ऐसा क्षेत्र यदि वह महायोजना में सम्मिलित हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश से अंग्रीकृत उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अन्य कोई महायोजना अथवा विकास कार्य योजना से संचालित हो तो वह ऐसी घोषणा अथवा अधिसूचना की तारीख से ऐसी योजना से बाहर समझी जायेगी और ऐसी योजना से बाहर होने पर किसी बात के होते हुए भी सन्दर्भित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या कार्रवाई समझी जायेगी, मानो कि यह अधिनियम उन सभी सारवान समयों पर लागू था :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबन्ध जहां विकास कार्य, महायोजना, न्यायनिर्णयन, और अपील प्रक्रिया में है, की अनुपस्थिति में बिना अपहानि के छोड़कर उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्धन) अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अल्पीकरण में न होकर अतिरिक्त रूप से होगीं :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए यदि वह उचित समझे, विभिन्न प्राधिकरणों की निर्वाध संचालन के लिए किसी त्रुटि अथवा विवाद के लिए कार्यकारी क्षेत्र अथवा अन्यथा क्षेत्रों को चिन्हित अथवा स्पष्ट करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है।

अनुसूची

(क) विकास और उन्नयन के पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के लिए टिहरी विशेष क्षेत्र ।
(इस प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र का निर्धारण आच्छादित होगा)

(ख) विकास और उन्नयन के पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के लिए चार धाम विशेष क्षेत्र।
(इस प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र का निर्धारण आच्छादित होगा)

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 144/XXXVI(3)/2013/13(1)/2013
Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Special Area (Planned Development and Promotion of Tourism Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 16, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 28 March, 2013.